

राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर

(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

क्रमांक:- F1(23)/Estt./Faculty/Recruitment/RajMES/2018/ 1140

दिनांक 24/09/18

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या F.1(23)/Estt./Faculty/Recruitment/RajMES/2018/1015 दिनांक 20.08.2018 के द्वारा नीचे अंकित अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके नाम के समक्ष अंकित विषय/पद पर उनके समक्ष अंकित नवीन मेडिकल कॉलेज में की गई थी, जिसमें उनके द्वारा पदस्थापन स्थान में परिवर्तन करने हेतु अनुरोध किया गया है। संबंधित वांछित नवीन मेडिकल कॉलेज में पद रिक्त होने की स्थिति में निम्न अभ्यर्थियों के पदस्थापन स्थान में आंशिक परिवर्तन उनके नाम के समक्ष अंकितानुसार किया जाता है :-

क्र.सं.	विषय	पद	नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान
1.	Paediatrics	Assistant Professor	Dr. Rajesh Kumar	Dungarpur	Churu
2.	Paediatrics	Assistant Professor	Dr. Himanshu Goyal	Churu	Bharatpur
3.	Paediatrics	Assistant Professor	Dr. Kuldeep Singh Rajpoot	Bharatpur	Bhilwara
4.	General Medicine	Assistant Professor	Dr. Haridev Singh	Bhilwara	Pali
5.	Pathology	Senior Demonstrator	Dr. Kumar Vivek Tanwar	Pali	Bhilwara
6.	Pharmacology	Professor	Dr. Madan Lal	Churu	Bhilwara
7.	Physiology	Associate Professor	Dr. Yogesh Kacha	Bhilwara	Dungarpur
8.	Biochemistry	Senior Demonstrator	Dr. Tushar Bayla	Pali	Bhilwara
9.	Psychiatry	Assistant Professor	Dr. Sunil Suthar	Dungarpur	Bharatpur
10.	Biochemistry	Senior Demonstrator	Dr. Naresh Kumar	Dungarpur	Bharatpur
11.	Pathology	Senior Demonstrator	Dr. Pritosh Kumar Yadav	Bharatpur	Churu
12.	Pathology	Senior Demonstrator	Dr. Kavita Sharma	Churu	Bharatpur

कृ.प.उ.

क्र.सं.	विषय	पद	नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान
13.	Biochemistry	Assistant Professor	Dr. Garima Gupta	Churu	Barmer
14.	General Surgery	Assistant Professor	Dr. Prahlad Ram Kalwan	Bhilwara	Barmer
15.	Pathology	Senior Demonstrator	Dr. Shweta Amarneel	Pali	Barmer
16.	Pharmacology	Associate Professor	Dr. D.J. Vyas	Pali	Barmer

इन सभी अभ्यर्थियों को इस आदेश के जारी होने के दस दिवस में नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करने के लिए निर्देशित किया जाता है, यदि उक्त निर्धारित अवधि में नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे। जिन चिकित्सक शिक्षको द्वारा 31.07.2018 के बाद यदि किसी अन्य मेडिकल कॉलेज में एम.सी.आई. निरीक्षण में भाग लिया है, को कार्यग्रहण नहीं कराया जायेगा एवं नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी किये जा रहे हैं।

समन्वयक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर

क्रमांक:- F.1(23)Estt./Faculty/Recruitment/RajMES/2018/ 1140

दिनांक : 24/09/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज भरतपुर/भीलवाड़ा/पाली/चूरु/डूंगरपुर/बाड़मेर को प्रेषित कर लेख है कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया है, को नवीन पदस्थापन स्थान हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजमेस, जयपुर।
5. सम्बन्धित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक/ई-मेल से।
6. नोडल अधिकारी, वेबसाइट को लेख है कि उक्त आदेश को वेबसाइट पर अपलोड करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

समन्वयक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर